न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी पूनम कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 75 / 2025

1 विजय सिंह पुत्र सवाई सिंह

2 रामअवतार सिंह पुत्र सवाई सिंह

3 सायर कवंर पत्नी सवाई सिंह 3

4 [illegible] कवर पुत्री सवाई सिंह

5 [illegible] कवर पुत्री सवाई सिंह

6 [illegible] कवर पुत्री सवाई सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम तोलियासर (सीगड़ा.) तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू (राज.)

वादीगण

वनाम

1 फते सिंह पुत्र हनुमान सिंह

2 मूल सिंह पुत्र हनुमान सिंह

3 विक्रम सिंह पुत्र हनुमान सिंह

4 [illegible] पुत्र हनुमान सिंह

5 मुकेश सिंह पुत्र हनुमान सिंह

6. भवर कवंर पत्नी हनुमान सिंह

7 अमर सिंह पुत्र रावत सिंह

8. भेरू सिंह पुत्र रावत सिंह

9. सत्यवीर सिह पुत्र सुमेर सिह

10. मनेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह

11 रीना कवर पुत्री सुमेर सिंह

12 सविता कवर पत्नी सुमेर सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम तोलियासर (सीगड़ा,) तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू (राज.)

13. झावरराम पुत्र खींवाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम दिलोई का बास, तहसील बिसाऊ, जिला झुन्झुनू (राज.)

14. उप पंजीयक कार्यालय मण्डावा, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी मण्डावा

15 राजस्थान सरकार भूमिधारी, जरिये तहसीलदार मण्डावा, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू (राज.)

वादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ रिकार्ड दुरुस्ती, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा,

निर्णय

निर्णय दिनांक 24.07.2025

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम तोलियासर, पटवार हल्का सीगडा, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू में भूमि हाल खसरा नं. 1 रकबा 2.00 हैक्टर व खसरा नं. 2 रकबा 2.13 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 4.13 हैक्टर भूमि अवस्थित है जिसके गत खसरा नं. 1 रकबा 16 बीघा 7 बिश्वा रहे है।यह कि वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित भूमि नन्द सिंह की खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है। उक्त नन्द सिंह अपने जीवनपर्यन्त काबिज रहा। उक्त नन्द सिंह के पुत्र रावतं सिंह व वाल सिंह पैदा हुये। उक्त नन्द सिंह फौत हो गया। नन्द सिंह के फौत होने पर वाद पत्र की धारा नं. 1 में वर्णित भूमि पर उसके वारिसान उसके दो पुत्र रावत सिंह व बाल सिंह काविज काश्त हुये तथा रावत सिंह व वाल सिंह अपने जीवनपर्यन्त काबिज काश्त हुये। रावत सिंह ने अपने जीवनकाल में ही अपने 1/2 हिस्से की भूमि में से 1/16 हिस्से की भूमि यानि सम्पूर्ण भूमि में से 1/8 हिस्से की भूमि काविक्रय प्रतिवादी सं. 13 झावरराम के हक में कर दिया। नन्द सिंह के पुत्र रावत सिंह के फौत होने पर रावत सिंह के शेष हिस्से की भूमि रावत सिंह के पुत्रान प्रतिवादी स. 7 व 8 तथा सुमेर सिंह को प्राप्त हुई। सुमेर सिंह को देहान्त होने के बाद सुमेर सिंह के हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी सं 9 लगायत 12 काविज काश्त हुये।इसी प्रकार नन्द सिंह के पुत्र वाल सिंह वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि पर अपने जीवनपर्यन्त काबिज काश्त रहे। नन्द सिंह के पुत्र वाल सिंह के देहान्त के पश्चात उसके 1/2 हिस्से की भूमि पर उसके दो पुत्र हनुमान सिंह व सवाई सिंह काविज काश्त हुये जो अपने जीवनपर्यन्त काबिज काश्त रहे। बाल सिंह के पुत्र हनुमान सिंह फौत हो चुके है। हनुमान सिंह के फौत होने पर उसके 1/2 हिस्से की भूमि पर उसके वारिसान प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 फते सिंह, मूल सिंह, विक्रम सिंह, ओमवीर सिंह, मुकेश व भवंर कवंर काविज काश्त हुये। वाल सिंह के दुसरे पुत्र सवाई सिंह भी फोत हो चुके है। सवाई सिह के फौत होने पर उसके 1/4 हिस्से की भूमि पर उसके वारिसान वादीगण विजय सिंह, रामवतार सिंह, सायर कवंर, हवा कवर, मन्जू कवर, वेवी कवंर काविज काश्त है तथा मौके पर वर्तमान में भी [illegible] रूप से काविज काश्त है।यह कि वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित भूमि ठिकाने के समय [illegible]न्द सिंह काश्त करता था तथा ठिकाने के समय से ही नन्द सिंह व बाल सिंह काश्त करते थे। जब जागीरदारी रिज्यूम हुई तथा वाल सिंह का स्वर्गवास हो गया। उस समय सवाई सिंह नाबालिग था। इस कारण वाद पत्र की धारा 1 मेंवर्णित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड कंवल रावत सिंह व बाल सिंह

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

के पुत्र हनुमान सिंह के नाम दर्ज हो गया परन्तु मौके पर वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में 1/2 हिस्से की भूमि पर बाल सिंह के पुत्र हनुमान सिंह व सवाई सिंह का संयुक्त कब्जा काश्त था।यह कि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 का पूर्वज व बाल सिंह का पुत्र हनुमान सिंह नाबालिग सवाई सिंह का बड़ा भाई व कर्ता परिवार होने के कारण वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अकेले हनुमान सिंह के नाम दर्ज कर दिया गया। उक्त सवाई सिंह ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ व्यक्ति था तथा अपने बड़े भाई पर विश्वास करता था जो कि राजस्व रिकॉर्ड सम्बन्धी सभी कार्य करता था। इस कारण सवाई सिंह ने कभी राजस्व रिकॉर्ड की ओर ध्यान नहीं दिया। सवाई सिंह की मृत्यू के पश्चात जब वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड सम्भाला तो देखा कि राजस्व रिकॉर्ड में सवाई सिंह का नाम दर्ज नही है। उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी होने पर वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 को गलत राजस्व रिकॉर्ड की बावत बताया जिन्होने बाला बाला हनुमान सिंह से उसके जीवनकाल में ही राजस्व रिकॉर्ड में हनुमान सिंह का व सवाई सिंह का हिस्सा अपने नाम गलत तरीके से दर्ज करवा लिया था जबकि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 का वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में 1/4 हिस्सा था जो कि हनुमान सिंह का था, को ही राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवाना चाहिये था जो गलत राजस्व रिकॉर्ड वादीगण के हक अधिकारों के विरूद्ध शुन्य है। इसलिये वादीगण को हनुमान सिंह के 1/2 हिस्सा भूमि में जो अब हनुमान सिंह वारिसों के नाम राजस्वरिकॉर्ड में दर्ज है में 1/2 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाने का आदेश दिया जाना आवश्यक है।यह कि वादीगण को इस जमीन जैर बहस के गलत राजस्व रिकार्ड के बावत जानकारी होने पर वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 को वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित जमीन जैर बहस के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने व इस जमीन का विधिवत खाता विभाजन करवाने को कहा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 पहले तो लगातार इस जमीन जैर बहस वर्णित धारा 1 वाद पत्र के उक्त अनुसार बने गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने व विधिवत खाता विभाजन के लिये कहते रहे परन्तु अब माह मई 2025 में प्रतिवादी सं 1 लगायत 6 ने इस जमीन का राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने व खाता विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया तथा इस जमीन में वादीगण का कोई हक हिस्सा होने से इन्कार कर दिया। इसलिये वादीगण को अपने हकूकों की रक्षार्थ यह दावा करना आवश्यक हुआ है।वादीगण दिंनाक 08.06.2025 अपने कब्जे काश्त की भूमि पर खेत में काश्त करने हेतु गये तो प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 ने वादीगण से कहा कि यह खेत हमारे नाम से है, अब हम तुम्हें इस खेत में काश्त नहीं करने देगें तथा अगर तुमने जबरदस्ती खेत को काश्त करने की कोशिश की तो हम तुम्हें जान से खत्म कर देगें व कहा कि तुम्हें वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में एक इंच भूमि भी नही देगें तथा कहा कि अब हम इस भूमि को दीगर

व्यक्तियों को बेचान करेगें।प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 काफी प्रभावशाली व राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 अपने प्रभाव व रसुख का इस्तेमालकर वादीगण को गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर उनके हक हिस्से की भूमि से जबरदस्ती बेदखल करने पर उतारू है एव वादीगण को जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र में से उनके हक हिस्सा से वंचित करना चाहते है तथा उक्त भूमि को दीगर भूमाफिया व्यक्तियों से मिलकर अन्तरण करना चाहते है। इस कारण प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित व न्यायोचित है। विनाए मुखासमत दावा हाजा के लिये माह मई 2025 में प्रतिवादी सं 1 लगायत 6 ने वादीगण को जमीन जेर बहस वर्णित धारा 1 वाद पत्र का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि दुरूस्त करवाने से तथा विधिवत खाता विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया तथा दिंनाक 08.06.2025 को दीगर व्यक्तियां को बेचान करने की धमकी देने एव उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने के रोज न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ।यह कि प्रतिवादी सं. 15 लेण्ड होल्डर है जो वाद पत्र में विवादित भूमि के प्रकरण के निस्तारण के लिये आवश्यक पक्षकार है। इस कारण वतौर प्रतिवादी सं. 15 को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रतिवादी नं 14 व 15 लोकसेवक है। कानून से लोक सेवक के विरूद्ध दावा दायरी से पूर्व धारा 80 (1) जा.दी. के तहत 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन दावा अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण बिना नोटिस दिये धारा 80 (2) जा.दी. के तहत पेश किया जा रहा है। इजाजत के लिये धारा 80 (2) जादी का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

(क)- घोषणा इस अमर की फरमाई जावें कि भूमि गत खसरा नं. 1 रकबा 16 बीधा 2.13 7 विश्या हाल खसरा नं. 1 रकबा 2.00 हैक्टर व खसरा नं. 2 रकबा हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 4.13 हैक्टर वाके ग्राम तोलियासर, पटवार हल्का सीगड़ा, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू में वादीगण को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें और इस जमीन का 1/2 हिस्सा भूमि का राजस्व रिकार्ड वर्तमान में प्रतिवादी नं. 1 लगायत 6 के नाम से गलत, अवैध है जो वादीगण के हक अधिकारों के खिलाफ शून्य, बेअसर है व काबिले दुरूस्ती है, जिसे दुरूस्त करने का आदेश फरमाया जायें।

(ख)- वाद वादीगण डिक्री किया जाकर वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर वादीगण को संयुक्त रूप से 1/4वें हक हिस्से का मौके पर कब्जा काश्त के मुताबिक अलग से विधिवत विभाजन किया जाकर लगान अलग-अलग कायम किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड अलग से बनाया जावें।

...ड अधिकारी
मण्डावा

(ग) यह कि प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त जमीन हाल खसरा नं. 1 रकबा 2.00 हैक्टर व खसरा नं. 2 रकबा 2.13 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 4.13 हैक्टर वाके ग्राम तोलियासर, पटवार हल्का सीगड़ा, तहसील मण्डावा, जिला झुन्झुनू में से वादीगण के हक हिस्से व उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करें, बिना विधिवत विभाजन करवाये गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर विक्रय नहीं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पावन्द किया गया। प्रतिवादी न0 01 लगायत 06 एवं वादी पक्ष की ओर से आपसी राजीनामा पेश किया । विभाजन की सिद्धि विड्रो करने बावत प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादी न0 07 लगायत 15 प्रफोमा पक्षकार होने बावत निवेदन है।

विधि में भूमि के घोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 में घोषणा का प्रावधान किया गया है।

विवेचन

प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी गण संख्या 01 लगायत 06 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम तोलियासर के जमीन हाल ख.न. 01 रकबा 2.00 हैक्टर, ,ख.न. 02 रकबा 2.13 हैक्टर में दर्ज खातेदारान प्रतिवादी न0. 01 लगायत 06 के कुल हिस्से में से 1/4 हिस्सा हजफ किया जाकर वादी संख्या 01 लगायत 06 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(मुनेश कुमारी)
उपखंण्ड अधिकारी,
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः–मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ

अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :– राजस्व वाद संख्या 75/2025 मो. विजय बनाम फते सिंह वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 24.07.2025 के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है।वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम तोलियासर के जमीन हाल ख.न. 01 रकबा 2.00 हैक्टर, ,ख.न. 02 रकबा 2.13 हैक्टर में दर्ज खातेदारान प्रतिवादी न0. 01 लगायत 06 के कुल हिस्से में से 1/4 हिस्सा हजफ किया जाकर वादी संख्या 01 लगायत 06 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोपित किया जाता है। राजीनामा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 24.07.2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

मुनेश कुमारी **(R.A.S.)**
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा